न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 72/2019/अपील/एल.आर.एक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 03.09.2019
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. सीताराम आ0 रामकल्याण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडोरा तह0 अटरू, जिला बारां।
2. भूली बाई पत्नी स्व0 रामकल्याण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडोरा तह0 अटरू, जिला बारां।

...अपीलांट्स

बनाम

1. विकास
2. निकास तथाकथित पुत्रान स्व0 ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी म0न 87 सेक्टर नं0 7 व्यायामशाला के पास केशवपुरा, जिला कोटा।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट्स
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 एवं 2

निर्णय

दिनांक 5.3.2020

अपीलार्थीगण ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 132/2016 (प्रथम अपील) अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 बउनवान सीताराम वगै बनाम विकास वगै आदि मे पारित निर्णय दिनांक 12.07.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पो क्रम 1 विकास एवं रेस्पो क्रम 2 निकास के पक्ष में तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1112 दिनांक 25.01.2016 ग्राम बडोरा तह0 अटरू को निरस्त करने हेतु अनील प्रथम अपीलीय न्यायालय मे पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक उक्त नामान्तरकरण मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हुये अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 12.7.2019 से खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि तहसीलदार अटरू द्वारा अपीलांट क्र0 1 के पिता एवं अपीलांट क्र0 2 के पति रामकल्याण आ0 मोतीलाल के खाते एवं कब्जे की खसरां नं0 546, 547, 551 तथा 552 की 4 किता की 1.33 है0 भूमि का फौती नामान्तरकरण अपीलांट्स के साथ–साथ रेस्पो क्रम 1 विकास एवं रेस्पो क्रम 2 निकास के पक्ष में हिस्सा 1/3 बराबर तस्दीक करने में त्रुटि की है। प्रश्नगत आराजी अपीलांट क्र0 1 की पैतृक सम्पत्ति है, रेस्पो क्र 1 व 2 ओमप्रकाश एवं रामकल्याण के वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिए बिना ही उत्तराधिकार के संबंध में जांच किये बिना ही रामकल्याण का फोती इन्तकाल तस्दीक करने में त्रुटि की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने

अति० स० आयु०

योग्य हैं। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो0 1 एवं 2 को ओमप्रकाश के पुत्र होना व पार्वती बाई पत्नी होना अंकित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट उपरोक्त आराजियात पर वैधानिक रूप से काबिज है। परीक्षण न्यायालय द्वारा तस्दीक फोती नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार 1956 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रामकल्याण का फोती इन्तकाल सं0 1112 दिनांक 25.01.2016 ग्राम बडोरा तह0 अटरू जिला बारां निरस्त फरमाया जावे तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2019 निरस्त फरमाया जाकर, मृतक खातेदार रामकल्याण की प्रश्नगत आराजी का फोती नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि नामा0 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वस्तुस्थिति एवं कानून, न्याय व तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अपीलांट क्रम–1 खातेदार रामकल्याण का पुत्र है तथा अपीलांट क्रम 2 विधवा पत्नी है। रामकल्याण का एक पुत्र ओमप्रकाश था जो अविवाहित था जिसकी मृत्यु रामकल्याण के जीवनकाल मे ही हो गई थी। रेस्पो0 क्रम–1 व 2 ओमप्रकाश के पुत्र एवं वारिस/उत्तराधिकारी नही है। ऐसी स्थिति मे तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक नामा0 सं0 1112 अपीलांट के साथ–साथ रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के पक्ष मे गैरकानूनी तस्दीक किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों पर गोर किये बिना अपील अपीलांट खारिज करने मे त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि रेस्पो0 क्रम–1 व 2 की माता पार्वतीबाई जाति भाट ने अपने विवाहित पति का परित्याग कर अपीलांट के भाई ओमप्रकाश के पास रखेल के रूप में रह कर अपने दोनो किशोर पुत्रों रेस्पो0 क्रम–1 व 2 का पालन पोषण किया था। बहस मे आगे बताया कि ओमप्रकाश की मृत्यु उपरांत पार्वतीबाई ने रामकल्याण के जीवनकाल मे तहसीलदार अटरू से 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण दिनांक 24.12.98 को अपने पक्ष मे तस्दीक करवा लिया था, जिसकी खातेदार स्वयं मृतक रामकल्याण द्वारा प्रथम अपील एडीएम बांरा के न्यायालय मे पेश की गई जिसे दिनांक 24.9.99 को स्वीकार कर तहसीलदार अटरू का आदेश निरस्त कर प्रकरण रिमाड किया गया। तहसीलदार अटरू द्वारा पुनः दिनांक 30.9.2000 को रामकल्याण के पक्ष मे आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पार्वतीबाई द्वारा अपील सं0 60/2001 पेश की गई जो खारिज की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में यह भी बताया कि अपीलांट को सूचना दिये बिना तथा उत्तराधिकार के संबध मे जांच किये बिना ही रामकल्याण का फोती इन्तकाल तस्दीक करने मे परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है। विचारण न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। पटवारी हल्का ने रामकल्याण जी के सजरे मे रेस्पो0 क्रम–1 व 2 को गलत रूप से बिना किसी आधार के ओमप्रकाश के पुत्र होना व पार्वती पत्नी होना त्रुटिपूर्ण अंकित किया है। उक्त तथ्य गहन जांच का विषय है जिसे नामान्तरण की सरसरी कार्यवाही मे तय नही किया जा सकता। उत्तराधिकार की जांच नही की गई। नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बहस मे आगे बताया कि रामकल्याण ने अपीलांट सं0 1 के पक्ष मे दिनांक 12.12.96 को वसीयतनामा निष्पादित कर अपीलांट को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस प्रकार अपीलांट क्रम–1 मृतक रामकल्याण का वसीयती उत्तराधिकारी होने से अपने पक्ष मे नामान्तरण तस्दीक कराने का अधिकारी है। रेस्पो0 1 व 2 का कोई हक एवं अधिकार निहित नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल सं0 1112 दिनांक 25.01.2016 व जेरअपील निर्णय दिनांक 12.07.2019 अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजी का नामा0 अपीलांट के नाम समभाग दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2003 RBJ पेज नं0 235 प्रस्तुत किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 1 व 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि ओमप्रकाश कोटा मे निवास करता था तहसीलदार लाडपुरा ने इसकी जांच की है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है। तहसीलदार अटरू ने मृतक खातेदार के वारिसान की जांच रिपोर्ट के आधार पर तथा आधार कार्ड शैक्षणिक दस्तावेज इत्यादि के आधार पर नामा0 सं0 1112 तस्दीक किया है जो विधि अनुरूप है। बहस मे बताया कि दो ग्रामो मे भूमि है रघुनाथपुरा के नामा0 सं0 265 दिनांक 20.2.2016 से भूमि मे हमारा नाम है उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई। पार्वतीबाई ने अपने ससुर पर दावा भी किया था जो

पत्रावली मे उपलब्ध है। सरपंच से वारिस प्रमाण पत्र अपीलांट ने प्राप्त किया हमने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमे इनके खिलाफ चालान पेश किया गया। वारिस प्रमाण पत्र की ट्रायल चल रही है। वारिस/उत्तराधिकार का प्रश्न नियमित वाद मे तय किया जा सकता है। नामा0 की सक्षिप्त कार्यवाही में नही। अतः हर दो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 क्रम 1 एवं 2 पर मनन किया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है, कि तहसीलदार अटरू द्वारा अपीलांट क्र0 1 के पिता एवं अपीलांट क्र0 2 के पति रामकल्याण आ0 मोतीलाल के खाते एवं कब्जे की खसरां नं0 546, 547, 551 तथा 552 की 4 किता की 1.33 है0 भूमि का फौती नामान्तरकरण अपीलांट्स के साथ–साथ रेस्पो क्रम 1 विकास एवं रेस्पो क्रम 2 निकास के पक्ष में हिस्सा 1/3 बराबर तस्दीक करने में त्रुटि की है। प्रश्नगत आराजी अपीलांट क्र0 1 की पैतृक सम्पत्ति है, रेस्पो क्र 1 व 2 ओमप्रकाश एवं मृ0 खातेदार रामकल्याण के वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है। अपीलांट को सूचना दिए बिना तथा उत्तराधिकार की जांच किये बिना ही रामकल्याण का फोती इन्तकाल तस्दीक करने में त्रुटि की है। जबकि उत्तराधिकार की जांच किया जाना आवश्यक है। अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा तस्दीक फोती नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार 1956 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण 2003 RBJ पेज नं0 235 चस्पा होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना जेरअपील आदेश से अपील अपीलांट खारिज करने मे त्रुटि की है। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार अटरू द्वारा विवादित आराजी का नामान्तरकरण सं0 1112 दिनांक 25.1.2016 ग्राम बडोरा खातेदार रामकल्याण के फौत होने उपरांत सजरे अनुसार तहसीलदार अटरू द्वारा अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 व 2 के नाम तस्दीक किया गया है। पक्षकारान के मध्य प्रकरण मे मुख्य विवाद्यक मृतक ओमप्रकाश के विधिक वारिसन को लेकर है। तहसीलदार अटरू द्वारा विवादित आराजी का इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व मृतक खातेदार रामकल्याण के विधिक वारिसान/ उत्तराधिकारी की समुचित जांच नही की गई तथा ना ही सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति मे परीक्षण न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये विवादित नामा0 सं0 1112 दिनांक 25.1.2016 को विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेखो का समुचित परीक्षण किये बिना आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 12.7.2019 पारित करने मे त्रुटि की है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार अटरू द्वारा पारित नामा0 सं0 1112 दिनांक 25.1.2016 ग्राम बडोरा एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण सं0 132/16 सीताराम बनाम विकास वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 12.7.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अटरू को विवादित आराजी के खातेदार मृतक रामकल्याण पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहमण के विधिक वारिसान की जांच उभय पक्षो की उपस्थिति मे करते हुये पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर विवादित आराजी का पुनः नामान्तरकण तस्दीक करने हेतु प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है। उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह न्यायालय तहसीलदार अटरू के यहां दिनांक 27.04.2020 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

6 निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा